राजीव गांधी नेतृत्व वाले भारतीय रिजल्टस संघ एवं आनंद विश्वास नेतृत्व वाले प्रवक्ताओं के बीच भारत रिजल्टस संघ कौशल्यांकन केंद्र के साथ विवाद जारी है।

प्लान 2 के अधीन नए व्यक्तियों की युक्ति प्रक्रिया के लिए नए व्यक्तियों को कौशल्यांकन केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू किया गया है।

प्लान 2 के अधीन नए व्यक्तियों की युक्ति प्रक्रिया के लिए नए व्यक्तियों को कौशल्यांकन केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू किया गया है।

प्लान 2 के अधीन नए व्यक्तियों की युक्ति प्रक्रिया के लिए नए व्यक्तियों को कौशल्यांकन केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू किया गया है।

प्लान 2 के अधीन नए व्यक्तियों की युक्ति प्रक्रिया के लिए नए व्यक्तियों को कौशल्यांकन केंद्र के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू किया गया है।
6. सोशालिटियों के विषयन और उनके कामकाज के समाधान के लिए उपक्रम—यथाप्राप्त जिओ निकाय के सदस्यों के तीन-बटा-पात्र में अनुयाय कितने ही समस्या उस प्रमाणन के लिए दुराग, गए किसी अधिवेशन में यह अवधारित कर सकते कि वह निकाय विविधता कर दिया जाए; तथा तब वह तृते अवधारणा भी तब पैदा गए गिसी समाधान पर विविधता कर दिया जाएगा, तथा ऐसे निकाय की समतिता तथा उसके दृष्टिओं द्वारा उस प्रथा सामूहिक नियमों के विरोध हों, अनुसार है और यदि न हों ।, तबा किसी ऐसे अधिवेशन में अवधारित करे।

परन्तु ऐसे निकाय के सदस्यों के बीच कोई विवाद होने की दशा में उसके कामकाज का समाधान, उस नियम के जिनमें ऐसे निकाय का मुख्य भूमिका स्थित है, आर्धिक अवधारित बाले प्रभाव निश्चित नियम को निर्धारित किया जाएगा तथा न्यायालय उस समाधान में ऐसा आदेश देगा जैसा बह जैसा समाधान है।

7. विषयन पर किसी सदस्य को साथ प्राप्त न होगा—यदि ऐसे किसी निकाय के विषयन पर, उसके सभी आयों और दायियों की तुलना के पश्चात कोई भी सम्पत्ति बन जाती है तो वह ऐसे निकाय के सदस्यों के बीच या उनमें से किसी का सदस्य या विवाद नहीं की जाएगी किन्तु धार्मिक उपदान या कोई अन्य धार्मिक या पूर्व अवधारणा ज्ञात रखने के प्रमाण के लिए सहमेलित व्यक्तियों के किसी ऐसे अन्य निकाय का प्रस्ताव न रख सकते अवधारित में उपस्थित सदस्यों के तीन-बटा-पात्र से अनुभव व दोनों द्वारा अधिकार उसके अवधारणा में सम्बन्धित पुरुष न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा।

8. लिखितों के बहुत उपक्रमों की यथासूत्र—(धारा 6 और धारा 7 की लिखित बारे में यह नियम समझा जा सके कि यह ऐसे निकाय के विषयन के लिए अधिक ऐसी समस्या के संरचना या साफ़ के लिए किसी लिखित में अवधारित किसी उपक्रम को प्रभावित करती है।

9. प्रथाओं का उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता—जब कोई प्रथा का अथवा यह न हो, तद्विषयस्तित विषयस्पेशियों के सम्बन्ध में या अथवा इस बारे की किसी कोई तथ्य इथूपुषुक किसी निकाय का साधन है या इस बारे की किसी का भिन्न अवधारणा के अधिक कोई अधिकारिक विभिन्नणा है, तब ऐसे नियम में इतिहास कोई तथ्य अवधारणा द्वारा उच्च न्यायालय में ऐसे प्रथा पर उनकी राय के लिए अवधारित कर सकता। ऐसी अवधारणा का इतिहास प्रथा द्वारा इन्हें न्यायालय थीसक समस्या है तामिल की जाएगी और वे उनकी सुनवाई में उपस्थित हो सकते।

इस धारा के अधिकारिक आवेदन के बीच न्यायालय के बिवर्तनाधीन होगे।

अनुसूची
(धारा 3 देखें)

d) 18 देिखए और उत्तर देिखए (पहाँ लिखिए)

उन सब न्यायियों के नाम और बर्णन जिनमें है उक्त (चैपल और सम्पत्ति) अब वैध रूप में निहित हो गई है।

प्रथा—पुरात जारी देने वाली (पहाँ उक्त नाम लिखिए)

निर्णय—अब और निर्णय किए गए नए व्यवसाय। (पहाँ उक्त नाम लिखिए)

लंबाई 18 के का दिन।

उक्त के या द्वारा, उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में पूरीत निर्णय और वर्ध और उक्त बैठक में निर्माणी के उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

20 जून

कृष्णा जून

उक्त बैठक का अध्यक्ष

1. सोशालिटि रिसर्च के प्रबन्ध के बारे में, जिंदारिट अनुसूचित अधिनियम, 1963 की धारा 35 देखें।